

28.11.25

फरवरी वेश हुई। वकील प्रार्थी के प्रापत्र  
पेश करने पर फरवरी वेशी में ली गई। वकील  
प्रार्थी द्वारा प्रापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया  
कि वादी का प्रतिवादी के साथ शहीनामा हो  
चुका है। कत नोटप्रेस के आधार पर वादी  
का वाद खारिज किया जावे। कत. प्रार्थी  
का निवेदन स्वीकार किया जाकर वादी का  
वादपत्र नोटप्रेस के आधार पर इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है। फरवरी बाद  
तरीख तकमील होकर दफ्तरल दफ्तर हो।  
निर्णय लिया जाकर बुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

जिने-सुनाया  
S. D. Shahid  
Raza  


  
(प्रिया बजाज)  
RAS